

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- अरुण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
514 / 2025

दायर दिनांक
21.10.2025

निर्णय दिनांक
07/11/2026

उनवान

1. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति खोईवाल निवासी पंचमुखी रोड दादवाडी भीलवाडा।
2. संजय पुत्र श्यामलाल जाति खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. चांदू पुत्र सवाईराम जाति गुजर निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. भैरूलाल वैष्णव पुत्र मदनलाल जाति वैष्णव निवासी मकान नम्बर 13 डी 18 नया बापू नगर भीलवाडा
3. सोसर पत्नी दूदा गुजर निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
4. हरफूल दत्तक पुत्र मंगला जाति जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा
5. गणेश पुत्र नन्दा जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
6. गीता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
7. फेफी पत्नी स्व0 हीरा जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
8. मांगी पत्नी स्व0 रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
9. शंकर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
10. सायर पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी भडाणी खेडा तहसील व जिला भीलवाडा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मुकेश धोबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

—: निर्णय :-

07/11/2026

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मुकेश धोबी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भडाणी खेडा पटवार हल्का रीछड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 901 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।


इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

07/11/2026
अधिवक्ता
पीठासीन

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ग्राम भडाणी खेड़ा पटवार हल्का रीछड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 901 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...07/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो और नंबर से कम हो।


07/04/2026
(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा